GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1081
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4TH DECEMBER, 2015
13, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)

DIRECT TAX CODE

1081. SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI):

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry proposes to restart the exercise of a comprehensive new direct tax code;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time by which the new Direct Tax Code is likely to be drafted and implemented?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)

(a)& (b) The Finance Minister, in his Budget Speech 2015, stated that most of the provisions of the Direct Tax Code (DTC) have already been included in the Income-tax Act and among the very few aspects of DTC which were left out, some have been addressed in the Budget 2015. Further, the jurisprudence under the Income-tax Act is well evolved. Considering all these aspects, there is no great merit in going ahead with the Direct Tax Code as it exists today.

(c) Does not arise in view of reply to part (a) & (b) above.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1081

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015 / 13 अग्रहायण,1937 (शक) को दिया जाना है)

प्रत्यक्ष कर कोड

1081. श्री मुथमसेटी श्रीनिवासन (अवंती) राव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का विचार एक व्यापक नव प्रत्यक्ष कर कोड का कार्य पुन: शुरू करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) नए प्रत्यक्ष कोर्ड के कब तक मसौदा तैयार किए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) तथा (ख): वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2015 में बताया है कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के अधिकतर प्रावधान आयकर अधिनियम में पहले ही शामिल कर लिए गए हैं और इस डीटीसी के उन थोडे से पहलुओं पर, जो कि छूट गए थे बजट 2015 में ध्यान दिया गया है। इसके अलावा आयकर अधिनियम में विधिशास्त्र का समुचित विकास हुआ है। इन सारे पक्षों पर ध्यान देने के पश्चात प्रत्यक्ष कर संहिता, जैसा कि यह वर्तमान में है, को आगे जारी रखने में कोई विशेष लाभ नजर नहीं आता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

.....